विविध बैंक प्र0सं0 62/2017 भारतीय स्टेट बैंक शाखा जवाहर नगर श्रीगंगानगर जरिये सहायक महाप्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक (रामसेक) द्वितीय तल, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर बनाम महावीर प्रसाद पुत्र श्री सरदारा राम अहाता न0 27, वार्ड न0 23, वाटर वर्क्स के सामने, लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29.01.2018

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के अभिभाषक श्री भारतभूषण महेन्द्रा उपस्थित है। प्रार्थी बैंक के अभिभाषक की बहस दिनांक 15.01.2018 को सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के अभिभाषक का कथन था कि उनके द्वारा एक प्रा0 पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है (जिसे आगे अधिनियम कहा जाकर सम्बोधित किया जावेगा) कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी महावीर प्रसाद पुत्र श्री सरदारा राम मकान न0 455, वार्ड न0 23, वाटर वर्क्स के सामने, लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में 10,30,000/–रूपये (अखरे रूपये दस लाख तीस हजार मात्र) ऋण दिनांक 02.12.2015 को स्वीकृत किया था। उक्त ऋण की सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थी ऋणी महावीर प्रसाद ने अपनी रिहायशी सम्पति (भूमि एवं निर्मित भवन) अहाता न0 27, वार्ड न0 23, लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 30' गुणा 52' कुल 1560 वर्गफुट को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा। अप्रार्थी ऋणी महावीर प्रसाद द्वारा बैंक के ऋण एवं ब्याज का भुगतान नही करने के कारण उसका ऋण खाता दिनांक 30.11.2016 को एनपीए हो गया है। अप्रार्थी ऋणी महावीर प्रसाद की ओर दिनांक 17.12.2016 तक ऋण राशि 9,87,604/–रूपये (ब्याज दिनांक 16.12.2016 तक) एवंम आगे का ब्याज तथा अन्य खर्चे बकाया है। अप्रार्थी ऋणी महावीर प्रसाद को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजि0 नोटिस दिनांक 16.12.2016 को भिजवाया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की बकाया ऋण राशि का भुगतान नही किया है और न ही नोटिस के संबंध में कोई आक्षेप या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी महावीर प्रसाद पुत्र श्री सरदारा राम मकान न0 455, वार्ड न0 23, वाटर वर्क्स के सामने, लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखी गयी रिहायशी सम्पति (भूमि एवं निर्मित भवन) अहाता न0 27, वार्ड न0 23, लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 30' गुणा 52' कुल 1560 वर्गफुट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मैने प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने कुल 10,30,000/–रूपये (अखरे रूपये दस लाख तीस हजार मात्र) ऋण दिनांक 02.12.2015 को अप्रार्थी ऋणी महावीर प्रसाद पुत्र श्री सरदारा राम मकान न0 455, वार्ड न0 23, वाटर वर्क्स के सामने, लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के नाम स्वीकृत किया था जिसकी सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थी ऋणी महावीर प्रसाद पुत्र श्री सरदारा राम मकान न0 455, वार्ड न0 23, वाटर वर्क्स के सामने, लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर ने अपनी रिहायशी सम्पति (भूमि एवं निर्मित भवन) अहाता न0 27, वार्ड न0 23, लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 30' गुणा 52' कुल 1560 वर्गफुट प्रार्थी बैंक के पास बधंक रखी। प्रार्थी बैंक के प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी महावीर प्रसाद को प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 16.12.2016 को बकाया ऋण राशि मय ब्याज जमा करवाने हेतु अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजि0 नोटिस जारी किया किन्तु अप्रार्थी ऋणी महावीर प्रसाद द्वारा नोटिस प्राप्ति के बावजूद न तो बैंक की बकाया ऋण राशि जमा करवाई है और न ही मांग नोटिस के सम्बन्ध में कोई आक्षेप या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए उक्त बन्धक रखी गई सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

चूंकि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी महावीर प्रसाद पुत्र श्री सरदारा राम मकान न0 455, वार्ड न0 23, वाटर वर्क्स के सामने, लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर के नाम धारा 13(2) के अन्तर्गत रजि0 डाक से नोटिस भिजवाया गया। पत्रावली में उपलब्ध रजि0 ए.डी. रसीद प्रति व प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी महावीर प्रसाद को नोटिस प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी महावीर प्रसाद द्वारा प्रार्थी बैंक की सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई गई है और न ही उनके द्वारा कोई जबाब या अभ्यावेदन प्रार्थी बैंक को प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी ऋणी महावीर प्रसाद पुत्र श्री सरदारा राम निवासी मकान न0 455, वार्ड न0 23, वाटर वर्क्स के सामने, लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखी गयी सम्पति (भूमि एवं निर्मित भवन) अहाता न0 27, वार्ड न0 23, लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 30' गुणा 52' कुल 1560 वर्गफुट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना आवश्यक है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा जवाहर नगर, श्रीगंगानगर जरिये सहायक महाप्रबवंधक भारतीय स्टेट बैंक (रामसेक) द्वितीय तल, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी महावीर प्रसाद पुत्र श्री सरदारा राम निवासी मकान न0 455, वार्ड न0 23, वाटर वर्क्स के सामने, लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखी गयी सम्पति (भूमि एवं निर्मित भवन) अहाता न0 27, वार्ड न0 23, लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 30' गुणा 52' कुल 1560 वर्गफुट का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने का आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पति का कब्जा प्राप्ति हेतु उनके चाहे अनुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर